

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 1982/ पौष 30, 1903
No. 1] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 1982/PAUSA 30, 1903

इस भाग में प्रकाशित संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(दाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1982

तम्बाकू बोर्ड

सं. 2(11)/81-विन. :—तम्बाकू बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तम्बाकू बोर्ड विनियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम जो उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं, बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विनियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तम्बाकू बोर्ड विनियम- 1979 में,—

(1) विनियम 5 के उप-विनियम (क) में—

“50 प्रतिशत” और “120 दिन” शब्दों और अंकों के स्थान पर
“60 प्रतिशत” और “90 दिन” शब्द और अंक रखे
जाएंगे ;

(2) प्रारूप 1, के स्पष्टीकारक टिप्पण की मद 31 से 33 में “50 प्रतिशत”
और “120 दिन” शब्दों और अंकों के स्थान पर “60 प्रतिशत”
और “90 दिन” रखे जाएंगे ;

(3) प्रारूप 2 में, “50 प्रतिशत” और “120 दिन” शब्दों और
अंकों के स्थान पर जहाँ कहीं भी वे आते हैं “60 प्रतिशत”
और “90 दिन” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

एस. वेकटरत्नम्, अध्यक्ष

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 1982

TOBACCO BOARD

No. 2(11)/81-Mktg.—In exercise of the powers conferred by section 93 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Tobacco Board hereby makes the following regulations further to amend the Tobacco Board Regulations, 1979, the same having been approved by the Central Government as required by sub-section 3 of the said section, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Tobacco Board (Amendment) Regulations, 1982.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Tobacco Board regulations, 1979,—
 - (1) in sub-regulation (a) of regulation 5, for the words and figures “50 per cent” and “120 days”, the words and figures “60 per cent”, and “90 days” shall respectively be substituted ;
 - (2) in the explanatory notes of Form I, in items 31 to 39, for the words and figures “50 per cent” and “120 days”, the words “60 per cent” and “90 days” shall respectively be substituted ;
 - (3) in Form II, for the figures and words “60 per cent” and “120 days” wherever they occur, the figures and words “60 per cent” and “90 days” shall respectively be substituted.

M. VENKATARATNAM, Chairman